

जिलेवार छात्रवृत्ति हेतु कोटा

S.No.	District	cota	S.No.	District	cota
1	AJMER	184	18	JAISALMER	31
2	ALWAR	345	19	JALOR	120
3	BANSWARA	131	20	JHALAWAR	98
4	BARAN	110	21	JHUNJHUNUN	259
5	BARMER	145	22	JODHPUR	202
6	BHARATPUR	239	23	KARAULI	123
7	BHILWARA	170	24	KOTA	160
8	BIKANER	141	25	NAGAUR	278
9	BUNDI	97	26	PALI	180
10	CHITTAURGARH	101	27	PRATAPGARH	65
11	CHURU	196	28	RAJSAMAND	94
12	DAUSA	100	29	S.MADHOPUR	110
13	DHAULPUR	166	30	SIKAR	316
14	DUNGARPUR	109	31	SIROHI	80
15	GANGANAGAR	167	32	TONK	108
16	HANUMANGARH	179	33	UDAIPUR	194
17	JAIPUR	473		Total	5471



NMMS-2022 हेतु परीक्षा परिणाम वर्चुअल घोषित करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

111, सहेली मार्ग, उदयपुर, राजस्थान-313001
फोन नं. 0294-2415171, ई-मेल: director.rscert@rajasthan.gov.in



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



डॉ. बुलाकी दास कल्ला
शिक्षा मंत्री, राजस्थान



श्रीमती जाहिदा खान
शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान

National Means Cum-Merit Scholarship

N.M.M.S. -2023



सत्यमेव जयते
Ministry of Education
Government of India



प्रायोजक

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

आयोजक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

वित्तीय सहयोग

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMS)

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी (SNO) हैं। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग राजकीय प्राप्ति उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) इसके जिला नोडल अधिकारी (DNO) हैं।

उद्देश्य-

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।
- कक्षा 8 के पश्चात् विद्यालय परित्याग दर को कम करना।
- कक्षा 9 से 12 तक ठहराव में वृद्धि करना।
- राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाना।

छात्रवृत्ति -

राजस्थान में कुल 5471 विद्यार्थियों को NMMS परीक्षा योजना के अन्तर्गत 12,000 रु प्रतिवर्ष की दर से चार वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

आरक्षण -

- SC व ST श्रेणियों के आवेदकों के लिए नियमानुसार कमशः 16 व 12 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण देय है।

पात्रता एवं मापदंड -

- कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
- अभिभावक/माता-पिता की सभी स्त्रीों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित स्पष्ट उत्तीर्ण।
- पात्रता व छात्रवृत्ति की निरन्तरता हेतु कक्षा 9 वीं से 10 वीं तथा कक्षा 11 वीं से 12 वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होने चाहिए (एस सी व एस.टी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट)

कौन पात्र नहीं है-

- जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल व निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

NMMS परीक्षा के लिए आवेदन-

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होता है।

परीक्षा आयोजन-

NMMS परीक्षा का आयोजन नवम्बर माह में प्रस्तावित है।

परीक्षा पैटर्न-

- राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT) व शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)।
- दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों (प्रत्येक में 90) को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है।
- विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT)	यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे।
2.	शैक्षिक योग्यता टेस्ट (SAT)	SAT में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 व 8 के स्तर का होगा।

परीक्षा परिणाम -

- चयन परीक्षा के बाद अतिशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है।
- आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। SC व ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णीक 32 प्रतिशत है।

NMMS योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश-

- पात्रता शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची पहले पढ़ लें।
- छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर आवेदन करें।
- कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को कक्षा 10, 11 व 12 में NSP पर नवीनीकरण कराना होता है।
- विद्यार्थी के आधार कार्ड, शालादर्पण रिकार्ड और बैंक डिटेल में कोई मिस मैच नहीं होना चाहिए।
- एक बार अनुत्तीर्ण होने पर या रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण और वेरिफिकेशन नहीं करने पर उत्तरोत्तर वर्षों में अपार माना जाएगा। हर वर्ष रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है।
- विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण करने के बाद विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है।

अतः रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्थाप्रधान को ऑनलाइन आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा कराएं।

NMMS स्कीम में राज्य का कोटा

NMMS स्कीम में राज्य का कोटा 5471 है जिसमें राज्य के नियमानुसार आरक्षण इस प्रकार है—

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	निःशक्त वर्ग सहित कुल संख्या	निःशक्त वर्ग 3 प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	16	875	26
2	अनुसूचित जन जाति	12	656	20
3	सामान्य वर्ग	72	3940	118
	योग	100	5471	164